

अध्याय-5

नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और अभिलेख, कार्यके निर्वहन के लिए

{धारा 4 (1) (बी) (v) और(vi)}

कृपया सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा या उसके नियंत्रण में या उसके कर्मचारियों द्वारा नियमों, विनियमों, निर्देशों, मैनुअलों और रिकार्डों की सूची और विवरण प्रदान करें, जिनका उपयोग निम्नलिखित प्रारूप में कार्यों के निर्वहन के लिए किया जाता है।

बोर्ड की शक्तियां और कर्तव्य :-

बोर्ड निगम का मुख्य कार्यकारी निकाय है और निगम की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करना। पुस्तक वितरण से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देना पाठ्यपुस्तकें और पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम से संबंधित शोध करना। पाठ्यपुस्तकों की तैयारी, उत्पादन और वितरण के कार्यक्रम को तैयार या अनुमोदित करना और निगम के अन्य प्रकाशनों और उसी को निष्पादित करना। निकाय से किसी प्रस्ताव, सिफारिश या रिपोर्ट को स्वीकार, अस्वीकार या वापस लेना। वार्षिक, संशोधित या पूरक बजट अनुमानों और वार्षिक खातों को अनुमोदित करना निगम की आय और व्यय का व्यौरा। निगम की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना और उसे अपनाना। अकादमिक परिषद या निगम की किसी समिति या उप-समिति या अधिकारी को बोर्ड की ऐसी प्रशासनिक, वित्तीय या अन्य शक्तियां प्रत्यायोजित करना। बोर्ड उचित समझें उन शर्तों को भी निर्धारित करें जिनके अधीन ये शक्तियाँ और कर्तव्य हैं। निगम के धन को इस तरह से खर्च करेगा कि यह निगम के उद्देश्य के लिए सबसे अधिक फायदेमंद होगा। निगम की पाठ्यपुस्तकों और अन्य प्रकाशनों की कीमतों को विनियमित करना। निगम के वित्त और खातों और निवेश का प्रबंधन और विनियमन।